फर्द अहकाम

घीसाराम बनाम भूरा वगै0

न्यायालय का नाम–उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं0 08/2022

क्र0सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16.10.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी अनुपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 11 एवं 12 उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 11 एवं 12 के निवेदन पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 1, 11 एवं 12 द्वारा जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया है। मौके पर कोई विवाद उत्पन्न ना हो इस हेतु उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। अतः उभय पक्षकांरान को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादग्रस्त आराजी खसरा नं0 172 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 225/1 रकबा 21 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं0 225/2 रकबा 1 बिस्वा तथा खसरा नं0 226 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा वाकै ग्राम गुढा–मानसिंह के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	